डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामस्वरूप पुत्र नारायण मीना निवासी नागलशेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
(वादी)

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र पंपैया
2. रामचरण पुत्र पपैया
3. भूरसिंह पुत्र पितराम
4. रामराज पुत्र पितराम
5. झूमा पत्नि रामसहाय
6. गोपाल पुत्र रामसहाय
7. श्री पुत्र रामसहाय
8. श्री लाल पुत्र नारायण
9. फरेबी पुत्र नारायण
10 मदनमोहन पुत्र नारायण
11 तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
12 नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली।
13 जिला कलक्टर करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 90/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, ... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा डिकी किया जाकर ग्राम पहाडी स्थित आराजीयात ख0न0 21/0.04, 22/0.04, 23/0.04, 67/0.10, 68/0.13, 69/0.09, 70/0.04, 71/0.05, 72/0.05, 145/0.15, 146/0.17, 154/0.12, 155/0.18, 156/0.18, 157/0.08, 158/0.11 कुल किता 16 कुल रकवा 1.57 है0 मे दर्ज नाम रामस्वरूप, श्रीलाल, फरेबी, मदनमोहन पि. नारायण हिस्सा बराबर 1/2, पितराम पुत्र मायाचन्द हिस्सा 1/4, रामसहाय पुत्र काडू हि0 1/8, जयसिह, हरीसिह, रामचरण पि0 पपैया हिस्सा 1/8 हि.ब. निवासी नांगल शेरपुर हजफ किये जाते है। तथा उक्त आराजीयात मे वादी रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल जाति मीना निवासी नांगल शेरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज......................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत............ 24/2/2020
ओहदा............ उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

परचक-मिसल

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 90/18 तारीख रजू:– 09.08.2018

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामस्वरूप पुत्र नारायण मीना निवासी नागलशेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली। (वादी)

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र पपैया
2. रामचरण पुत्र पपैया
3. भूरसिंह पुत्र पितराम
4. रामराज पुत्र पितराम
5. झूमा पत्नि रामसहाय
6. गोपाल पुत्र रामसहाय
7. श्री पुत्र रामसहाय
8. श्री लाल पुत्र नारायण
9. फरेबी पुत्र नारायण
10. मदनमोहन पुत्र नारायण
11. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
12. नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली।
13. जिला कलक्टर करौली।

(प्रतिवादीगण)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

दावा बावत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांकः– 24.02.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पहाडी स्थित आराजीयात ख0न0 21/0.04, 22/0.04, 23/0.04, 67/0.10, 68/0.13, 69/0.09, 70/0.04, 71/0.05, 72/0.05, 145/0.15, 146/0.17, 154/0.12, 155/0.18, 156/0.18, 157/0.08, 158/0.11 कुल किता 16 कुल रकवा 1.57 है0 वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है तथा वादी हमेशा से उक्त आराजी पर बिना किसी विध्न बाधा के साल दर साल फसल काश्त चला आ रहा है तथा आज भी काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादी व प्रतिवादीगण 8, 9, 10 बहिस्सा 1/2, प्रतिवादी न0 1, 2 तथा जयसिंह बहिस्सा 1/8 है जयसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है। प्रतिवादी न0 3, 4 के पिता पितराम पुत्र मायाचन्द बहिस्सा 1/4 प्रतिवादी न0 5 के पति तथा प्रतिवादी न0 6, 7 के पिता रामसहाय पुत्र काडू बहिस्सा 1/8 दर्ज है पितराम व रामसहाय फौत हो चुके है। इसलिये उनके वारिसान को पक्षकार बनाया है। आराजीयात से प्रतिवादीगण को कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजीयात को सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा सेटलमेन्ट मौजूदा ख0न0 21/0.04, 22/0.04, 23/0.04, को साबिक ख0न0 26 मिन रकवा 12 बिस्वा से

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

67/0.10, 68/0.13 को साबिक ख0न0 53मिन रकवा 18 बिस्वा से, ख0न0 69/0.09, 70/0.04, 71/0.05, 72/0.05 को साबिक ख0न0 54मिन रकवा 18 बिस्वा से, ख0न0 145/0.15, 146/0.17 है0 को साबिक ख0न0 88 मिन रकवा 1 बीधा 8 बिस्वा, ख0न0 154/0.12, 155/0.18, 156/0.18, 157/0.08, 158/0.11 को साबिक ख0न0 129 मिन. रकवा 2 बीधा 18 बिस्वा से बनाया है। उक्त साबिक ख0न0 26, 53, 54, 88, 129 की खातेदारी वादी के कब्जे काश्त की आराजी है। तथा सेटलमेन्ट पूर्व सम्वत 2039–2042 की जमाबन्दी मे वादी का नाम भली प्रकार अंकित है। सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा बिना किसी आधार व अधिकार के बिना किसी न्यायालय के आदेश के वादी की खातेदारी से हजफ कर प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग हिस्सो मे खातेदारी कायम कर दी जो गलत है एविसिनियो वाईड व प्रभावहीन वादी है।सेटलमेन्ट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नही है तथा वादी अपनी आराजी अपने नाम कराने का हकदार है।

इस समस्त मोजूदा रिकार्ड व साबिक लेने पर उक्त साजिश का पता चला इस पर दिनांक 18.7.18 को प्रतिवादीगण से मिला तो कहा कि तुमने मेरी जमीन को अमीनो से मिलकर नाम करा ली है तहसील मे चलकर मेरे नाम करा दो तो उन्होने इन्कार कर दिया तथा जमीन पर कब्जा करने को कहा इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ख0न0 21/0.04, 22/0.04, 23/0.04, 67/0.10, 68/0.13, 69/0.09, 70/0.04, 71/0.05, 72/0.05, 145/0.15, 146/0.17, 154/0.12, 155/0.18, 156/0.18, 157/0.08, 158/0.11 कुल किता 16 कुल रकवा 1.57 है0 मे प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ फरमाया जाकर वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित फरमाया जावे। एवं वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। आराजी को खुर्द–बुर्द नही करे। आराजी को नामाबिल काश्त नही बनावे। आराजी को रहन व्यय नही करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

अतः दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 ता 7 जरिये वकील उपस्थित हुये, प्रतिवादीगण 8 ता 13 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 7 की और से दिनांक 5.11.19 तक जबाब पेश नही किया, दिनांक 20.11.2019 को प्रतिवादी न0 1 ता 7 उपस्थित नही हुये नाही उनका वकील उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी वकील ने वादपत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम पहाडी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2043–62 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2039–42 प्रदर्श–4, एवं स्वंय का शपथ पत्र पेश किया।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। साबिक ख0न0 129, 26, 53, 54, 88 कुल रकवा 6 बीधा 6 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2039–42 मे वादी रामस्वरूप पुत्र नारायण जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय नवीन ख0न0 21, 22, 23, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 158 कुल किता 16 कुल रकवा 1.60 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी। जबकि इनका किसी प्रकार से कोई संबध नही है। इसलिये प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी हजफ की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, ग्राम पहाडी की जमाबन्दी सम्वत 2039–42 के खाता संख्या 425 प्रदर्श–4 के अनुसार आराजी ख0न0 129 रकवा 2 बीधा 13 बिस्वा, 26 रकवा 12 बिस्वा, 53 रकवा 18 बिस्वा, 54 रकवा 18 बिस्वा, 88 रकवा 1 बीधा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 6 बीधा 6 बिस्वा की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल मीना निवासीग्राम नांगल शेरपुर दर्ज है, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक ख0न0 26 मिन रकवा 12 बिस्वा से नवीन ख0न0 21/0.05, 22/0.05, 23/0.05है0, साबिक ख0न0 53 एवं 53 मिन रकवा 18 बिस्वा से नवीन ख0न0 67/0.10, 68/0.13 है0, साबिक ख0न0 54 मिन रकवा 18 बिस्वा से नवीन ख0न0 69/0.09, 70/0.04, 71/0.05, 72/0.05, 73/0.05 है0, साबिक 88 मिन रकवा 1 बीधा 8 बिस्वा से नवीन ख0न0 145/0.15, 146/0.17 है0, साबिक 129 मिन रकवा 2 बीधा 18 बिस्वा से नवीन ख0न0 154/0.12, 155/0.18, 156/0.18, 157/0.08, 158/0.11 है0 कायम कर नवीन खसरा नम्बरान की जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत 2043–62 प्रदर्श–3 के खाता संख्या 533 मे खातेदारी रामस्वरूप, श्रीलाल, फरेबी, मदनमोहन पि. नारायण हिस्सा बराबर 1/2, पितराम पुत्र मायाचन्द हिस्सा 1/4, रामसहाय पुत्र काडू हि0 1/8, जयसिह, हरीसिंह, रामचरण पि0 पपैया हिस्सा 1/8 हि.ब. निवासी नांगल शेरपुर के नाम दर्ज कर दी। इसी प्रकार आगामी जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1 मे खातेदारी दर्ज हो रही है। जमाबन्दी सम्वत 2039–42 प्रदर्श–4 के खाता संख्या 425 के साबिक खसरा नम्बरान 129, 26, 53, 54, 88 मे खातेदारी रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल मीना के नाम दर्ज है। किन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान बने नवीन ख0न0 ख0न0 21/0.04, 22/0.04, 23/0.04, 67/0.10, 68/0.13, 69/0.09, 70/0.04, 71/0.05, 72/0.05, 145/0.15, 146/0.17, 154/0.12, 155/0.18, 156/0.18, 157/0.08, 158/0.11 कुल किता 16 कुल रकवा 1.57 है0 मे वादी के स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। आगामी जमाबन्दीयो मे इसी प्रकार का अंकन दर्ज किया जाता रहा है। उक्त आराजीयात मे वादी, प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का हकदार होने से वादी का दावा डिक्री योग्य पाता हूँ।

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर ग्राम पहाडी स्थित आराजीयात ख0न0 21/0.04, 22/0.04, 23/0.04, 67/0.10, 68/0.13, 69/0.09, 70/0.04, 71/0.05, 72/0.05, 145/0.15, 146/0.17, 154/0.12, 155/0.18, 156/0.18, 157/0.08, 158/0.11 कुल किता 16 कुल रकवा 1.57 है0 मे दर्ज नाम रामस्वरूप, श्रीलाल, फरेबी, मदनमोहन पि. नारायण हिस्सा बराबर 1/2, पितराम पुत्र मायाचन्द हिस्सा 1/4, रामसहाय पुत्र काडू हि0 1/8, जयसिह, हरीसिंह, रामचरण पि0 पपैया हिस्सा 1/8 हि.ब. निवासी नांगल शेरपुर हजफ किये जाते है। तथा उक्त आराजीयात मे वादी रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल जाति मीना निवासी नांगल शेरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

24/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:32:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: